

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
**U.P.Power Corporation Limited**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 (उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
 CIN : U32201UP1999SGC024928  
 शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:- 2745-औस / 2016-19(125)ए०एस० / 2001

दिनांक: 02 जुलाई, 2016

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के सम्पर्क में आने से बाहरी व्यक्तियों की घातक एवं साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या-464-औस / 2016-19(125)ए०एस० / 2001 दिनांक 03.02.2016 के सम्बन्ध में पुनर्निर्धारण हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की 125वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार दैवीय आपदाओं हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अनुग्रह धनराशि निम्नवत् पुनः निर्धारित की जाती है :-

(a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons.	Rs. 4.00 lakh per deceased person including those involved in relief operations of associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority.
(b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eyes.	Rs. 59,100/- per person when the disability is between 40% and 60%. Rs. 2.00 lakh per person when the disability is more than 60%. subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability.
(c) Grievous injury requiring hospitalization.	Rs. 12,700/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs. 4,300/- per person requiring hospitalization for less than a week.

इस सम्बन्ध में पूर्व आदेश सं०-4570 औ०सं० / 17 / पाकालि / 2004-19(51)ए०एस० / 2004 एवं आदेश संख्या-464 औ०सं० / 16-19(51)ए०एस० / 2001 दिनांक 03.02.2016 के अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,**  
**निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)**

N/L .....2...../-

संख्या:-2745-औस/2016/तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, केस्को/वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
5. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. महाप्रबन्धक, लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. अनुसचिव, कार्मिक वित्त नीति, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. कारपोरेशन (मु०), शक्ति भवन के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल/पत्रावली संख्या-8-एम/92।

*Naf Mattar*  
2-7-16  
(नवनीत माथुर)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी